निक्षेप
(BAILMENT)
PART - III

निक्षेप के भेद अथवा वर्गीकरण
(Kinds or classification of Bailment)

निक्षेप अनुबन्ध के भेद अथवा वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है —

I उद्देश्य के आधार पर (On the basis of Objective)

उद्देश्य के आधार पर निक्षेप अनुबन्ध के भेद निम्नलिखित हैं:—

1. रक्षार्थ जमा करना (Safe Deposit) — इसके अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास रक्षा के उद्देश्य से माल रखता है। उदाहरण के लिए — एक बैंक में सुरक्षा के लिए तिजोरी के लिए आभूषण रखा जाना।
2. निःशुल्क प्रयोग के लिए — इसके अन्तर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निःशुल्क प्रयोग के लिए कोई वस्तु देता है, उदाहरण के लिए — A अपने मित्र B को अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे देता है।
3. वस्तु किराये पर देना (On Hire) — इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रयोग के लिए दी जाने वाली वस्तु के लिए शुल्क अथवा किराया ले लेता है, जैसे - मोटर गाड़ी, फर्नीचर, साइकिल आदि किराये पर लेना।

4. बन्धक या गिरवी (Pledge or Pawn) - जब ऋण लेते समय प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु ऋणदाता के पास जमा करना किया जाता है तो इसे बन्धक अथवा गिरवी कहते हैं, जैसे- ऋण के बदले में गिरवी रखना।

5, वाहक के सुपुर्द (Carrier) - इसमें वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान के ले जाने के लिए किसी वाहक (Carrier) के सुपुर्द किया जाता है, जैसे- पटना से कोलकाता (हवड़ा) माल भेजने के लिए मालगाड़ी को माल सौंप देना।

6, मरम्मत के लिए (For Repairs) - इनके अन्तर्गत वस्तुएँ मरम्मत के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंप दी जाती है। जैसे बढ़ई को सोफा मरम्मत के लिए देना।

II शुल्क के आधार पर (On the basis of Charge) - शुल्क के आधार पर निक्षेप अनुबन्ध के प्रकार निम्नलिखित है-

1. नि:शुल्क निक्षेप - जब निक्षेप के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है अर्थात् पूर्णत: नि:शुल्क होता है तो इसे नि:शुल्क निक्षेप कहते हैं, जैसे - A, B को अपनी साइकिल चार दिनों के लिए चलाने के वास्ते बिना कोई शुल्क लिए देता है।

2. निःशुल्क निक्षेप – इसके अन्तर्गत यदि निक्षेप के लिए कोई शुल्क लिया अथवा दिया जाता है तो वह निःशुल्क निक्षेप कहलाता है। जैसे – गोदाम में माल की सुरक्षा हेतु किराया वसूल करके रखा जाना।

III लाभ के आधार पर (On the basis of Benefit) – लाभ के आधार पर निक्षेप अनुबन्ध के प्रकार निम्नलिखित हैं:–

1. निक्षेपी के लाभ के लिए – इसके अन्तर्गत जब निक्षेप अनुबन्ध केवल निक्षेपी के लाभ के लिए किया जाता है, तो वह निक्षेपी के लाभ के लिए निक्षेप कहलाता है, जैसे- पड़ोसी के पास कुछ समय के लिए निःशुल्क अपना मूल्यवान वस्तु सुरक्षा हेतु छोड़ना।

2. निक्षेपगृहीता के लाभ के लिए – जब माल का निक्षेप केवल निक्षेपगृहीता (Bailee) के लाभ के लिए किया जाता है, तो वह निक्षेपगृहीता के लाभ के लिए निक्षेप कहलाता है। जैसे- अपने मित्र को साइकिल अथवा किताब निःशुल्क उधार देना।

2. पारस्परिक हित के लिए – जब निक्षेप अनुबन्ध निक्षेपी तथा निक्षेपग्रहीता दोनों के लाभ के लिए किया जाता है, तो वह पारस्परिक हित के लिए निक्षेप कहलाता है। उदाहरण-स्वरूप – किराये पर माल लेना।

निक्षेपग्रहीता को सुपुर्दगी देने की विधि (Mode of Delivery to Bailee)

निक्षेपग्रहीता को माल की सुपुर्दगी कोई भी ऐसी कार्य करने से की जा सकती है, जिसके द्वारा माल निक्षेपग्रहीता के अधिकार में पहुँच जाय अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार में पहुँच जाय जो कि निक्षेपग्रहीता की ओर से उसे रखने के लिए अधिकृत हो। (धारा-149)

[redacted]